

पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि)

❖ प्रसंग

- हाल ही में, आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री ने संसद को सूचित किया कि पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना को मार्च, 2022 से आगे बढ़ा दिया गया है।

प्रमुख बिंदु :-

● विस्तार :-

- दिसंबर 2024 तक ऋण देने की अवधि का विस्तार,
- क्रमशः ₹10,000 तथा ₹ 20,000 के पहले और दूसरे ऋण के अतिरिक्त ₹50,000 तक के तीसरे ऋण की शुरुआत
- देश भर में पीएम स्वनिधि योजना के सभी लाभार्थियों के लिए 'स्वनिधि से समृद्धि' घटक का विस्तार करना।

● दिसंबर, 2024 तक 42 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को पीएम स्वनिधि योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाना है।

पीएम स्वनिधि के बारे में

- आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय के द्वारा इसे आरम्भ किया गया।
- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है

● उद्देश्य

- कोविड-19 लॉकडाउन से प्रतिकूल रूप से प्रभावित रेहड़ी-पट्टी वालों को अपनी आजीविका फिर से शुरू करने के लिए किफायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना।
- इसे दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इसमें संपार्श्विक मुक्त किफायती ऋण कोष में वृद्धि, डिजिटल लेनदेन को अपनाने और स्ट्रीट वेंडर्स और उनके परिवारों के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

● लक्षित लाभार्थी

- 50 लाख से अधिक लोग, जिनमें वेंडर, फेरीवाले, ठेलेवाले आदि शामिल हैं, जो सब्जियां, रेडी-टू-ईट खाद्य पदार्थ, फल आदि की आपूर्ति करते हैं।
- इसमें नाई की दुकान, मोची, पान की दुकान, लॉन्ड्री सेवा आदि जैसे सेवा प्रदाता भी शामिल हैं।
- योजना केवल उन्हीं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है, जिन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014 के तहत नियमों और योजनाओं को अधिसूचित किया है।

● योजना के लाभ

- विक्रेता 10,000, रुपये तक का कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त कर सकते हैं। जिसे 1 वर्ष में मासिक किश्तों में चुकाया जाएगा।
- ऋण को समय पर अथवा समय से पहले चुकाने पर, तिमाही आधार पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सब्सिडी जमा की जाएगी।
- लोन के समय से पहले भुगतान करने पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी।
- यह योजना 100रुपये प्रति माह की राशि तक कैश बैंक प्रोत्साहन के माध्यम से डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देती है।
- विक्रेता ऋण की समय पर/जल्दी चुकौती पर ऋण सीमा को बढ़ाने की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

संक्षिप्त सुर्खियां

बद्री गाय

❖ प्रसंग

» उत्तराखंड, उत्पादकता बढ़ाने के लिए स्वदेशी बद्री गायों की आनुवंशिक वृद्धि की योजना बना रहा है।

❖ प्रमुख बिंदु :-

- पहाड़ी राज्य के पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने बद्री मवेशियों के उत्पादन में सुधार के लिए सेक्स-सॉर्टेड सीमन तकनीक का उपयोग करने का प्रस्ताव दिया।
- उन्होंने उच्च आनुवंशिक स्टॉक के अधिक मवेशियों का उत्पादन करने के लिए भ्रूण

Face to Face Centres





स्थानांतरण विधि का विकल्प चुनने का भी प्रस्ताव दिया।

- राज्य ने मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर (एमओईटी) का विकल्प चुनने का निर्णय किया है। यह एक पारंपरिक भ्रूण फलश है, जो उन्नत पशु प्रजनन में सबसे आम प्रक्रिया के रूप में उपयोग किया जाता है।
- ओवम पिकअप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) एक अन्य तकनीक है इसका उपयोग प्रति पशु उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जाएगा।
- स्थानीय निवासियों के के माध्यम से रोजगार और उद्यमिता उत्पन्न करने के लिए परियोजना के लिए सहायक प्रजनन तकनीक (एआरटी) शुरू करने का प्रस्ताव दिया गया है।

➤ बंदी गाय

- बंदी गाय हिमालय की औषधीय जड़ी-बूटियों का चारण करती (खाती) है।
- इसकी औषधीय खाने की आदतों के कारण, यह नस्ल तुलनात्मक रूप से रोगों के प्रति अधिक प्रतिरोधी है।
- बंदी गाय उत्तराखंड की पहली पंजीकृत मवेशी नस्ल है जिसे राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (एनबीएजीआर) द्वारा प्रमाणित किया गया है।
- राज्य सरकार बंदी गाय के घी के अलावा, राज्य गौमूत्र सन्दूक (डिस्टिल्ड गोमूत्र), गाय के गोबर, और पंचगव्य (गाय के पांच उत्पादों, दूध, दही, घी, गोबर और मूत्र सहित) की मार्केटिंग क्षमता को भी देख रहा है।

आइची लक्ष्य

Aichi Targets



❖ सन्दर्भ

- 196 देशों के प्रतिनिधि (जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCBD) के पक्षकारों ने पर्यावरणीय हानि को प्रतिबंधित करने से सम्बंधित एक नवीन वैश्विक समझौते के लिए मॉन्ट्रियल, कनाडा में 7-21 दिसंबर के मध्य बैठक करेंगे।

❖ प्रमुख बिंदु

- COP15 में हुई चर्चा का उद्देश्य, 24 संरक्षण लक्ष्यों की प्राप्ति में हुई गलतियों के दोहराव से बचना तथा सम्पूर्ण विश्व के समक्ष संरक्षण लक्ष्यों के सेट में सुधार करना है। ध्यातव्य है कि इसके पूर्व के संरक्षण लक्ष्य (आइची जैव विविधता लक्ष्य) की समय सीमा 2020 में समाप्त हो गई है।
- सितंबर 2020 के संयुक्त राष्ट्र के आकलन के अनुसार, कोई भी देश अपने सभी 20 आइची लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाया है।

❖ आइची लक्ष्य

- आइची लक्ष्य को जापान के आइची प्रीफेक्चर में स्थित नागोया में यूएनसीबीडी शिखर सम्मेलन- 2010 के दौरान अपनाया गया था।
- लक्ष्यों में आने वाले दशक के दौरान वनों की कटाई को 50% तक कम करने तथा प्रदूषण को रोकने जैसे लक्ष्य शामिल थे ; जिससे पारिस्थितिक तंत्र की हानि को रोका जा सके।
- हालांकि, कई लक्ष्यों की भाषा अस्पष्ट थी तथा यह देशों को किसी विशेष कार्रवाई के लिए

Face to Face Centres



सर्कुलर ट्रेडिंग



बाध्य नहीं करती थी।

- आइसी लक्ष्यों को अपनाने के बाद पक्षकारों से अपेक्षा की गई थी कि वे अपनी आइसी लक्ष्यों के अनुरूप अपनी राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति तैयार करेंगे।
- यद्यपि सभी पक्षकारों ने इन रणनीतियों का निर्माण किया, परन्तु अधिकांश देश इन रणनीतियों को पूरी तरह लागू नहीं कर पाए।

❖ सन्दर्भ :-

➤ वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद द्वारा अपनी आगामी बैठक में सर्कुलर ट्रेडिंग का मुद्दा उठाया जा सकता है।

❖ प्रमुख बिंदु

- सर्कुलर ट्रेडिंग का मुद्दा प्रायः विवाद का विषय बना रहा है।
- सीबीआईसी ने एक दिशानिर्देश जारी कर कहा था कि, "सर्कुलर ट्रेडिंग टैक्स चोरी का मामला नहीं है अतः इसमें गिरफ्तारियां नहीं की जानी चाहिए।
- इसके बाद भी सर्कुलर ट्रेडिंग के मामले में गिरफ्तारियां हो रही हैं।

❖ सर्कुलर ट्रेडिंग के बारे में

- सर्कुलर ट्रेडिंग का मतलब, व्यापारियों द्वारा किसी भी वास्तविक सामान या सेवाओं का लाभ उठाए, बिना चालान जारी करके धोखाधड़ी से इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करना है।
- सरल शब्दों में, सर्कुलर ट्रेडिंग शेल कंपनियों के माध्यम से माल की बिक्री और खरीद (माल की वास्तविक आवाजाही के बिना) के लेन-देन को संदर्भित करता है।
- सर्कुलर ट्रेडिंग एक सर्कुलर है जो कंपनियों के एक समूह द्वारा नकली बिक्री चालान बनाकर गलत लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है।

❖ सर्कुलर ट्रेडिंग के उद्देश्य

- कंपनी/व्यवसाय का मूल्यांकन बढ़ाने के लिए।
- बैंकों या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से अधिक ऋण प्राप्त करने के लिए।
- सिस्टम में काला धन लाने और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने के लिए।

IUCN रेड लिस्ट में हिमालयी पौधों की तीन प्रजातियाँ



❖ सन्दर्भ

➤ हिमालय में पाई जाने वाली औषधीय पौधों की तीन प्रजातियों को आईयूसीएन की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त श्रेणी में स्थान प्राप्त हुआ है।

❖ प्रमुख बिंदु

- **Meizotropis pellita** नामक औषधीय प्रजाति को इसके अधिभोग के सीमित क्षेत्र (10 वर्ग किमी से कम) में ही पाया जाता है। अतः इसी आधार पर आईयूसीएन ने इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में मूल्यांकित किया गया है।
- इसे सामान्य रूप से पटवा के नाम से जाना जाता है।
- यह उत्तराखंड में पाई जाने वाली एक बारहमासी झाड़ी है जिसका वितरण प्रतिबंधित किया

Face to Face Centres



	गया है ➤ इसकी पत्तियों से निकाले गए तेल में अत्यधिक एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। इन प्रजातियों को मुख्य रूप से वनों की कटाई, आवास विखंडन तथा जंगल की आग (दावाग्नि) से खतरा है। फ्रिटिलोरिया सिरोंसा, नामक प्रजाति को संवेदनशील श्रेणी में मूल्यांकित किया गया है। - सामान्य रूप से इसे हिमालयी फ्रिटिलरी के नाम से जाना जाता है। - यह एक बारहमासी बल्बनुमा जड़ी बूटी है। - पिछले 22-26 वर्षों में इसकी संख्या में 30% की गिरावट आई है। - चीन में, इस प्रजाति का उपयोग ब्रोन्कियल विकारों और निमोनिया के इलाज के लिए किया जाता है। - यह पौधा खांसी के दमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ➤ Dactylorhiza hatagirea को आईयूसीएन रेड लिस्ट की लुप्तप्राय श्रेणी में रखा गया है। ➤ आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी और दवाओं की अन्य वैकल्पिक प्रणालियों में इस पौधे का बड़े पैमाने पर उपयोग पेचिश, जठरशोथ, पुराने बुखार, खांसी और पेट दर्द को ठीक करने के लिए किया जाता है।
सिंगापुर डिक्लरेशन 	❖ प्रसंग » अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की 17वीं एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक में सिंगापुर डिक्लरेशन को अपनाया गया। ❖ प्रमुख बिंदु :- - यह घोषणा, घटते पारिश्रमिक तथा बढ़ती मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मुद्दे के निस्तारण के उद्देश्य से, सदस्य देशों के लिए राष्ट्रीय कार्यवाई की दस-सूत्रीय प्राथमिकताएं निर्धारित करती है। - श्रम बाजार की चुनौतियों का समाधान करने के लिए सामाजिक संवाद की आवश्यकता पर सहमति बनी है। - सिंगापुर डिक्लरेशन के द्वारा आईएलओ ने सरकारों से संघ की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने तथा सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार की प्रभावी मान्यता के माध्यम से श्रम सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। - इसमें महिलाओं की श्रम बल भागीदारी, समान कार्य हेतु समान वेतन को बढ़ावा देने, कार्य और उत्तरदायित्व को संतुलित करने और महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देने जैसे उपायों के माध्यम से कार्यस्थल पर लैंगिक अंतराल को समाप्त करने का आह्वान किया है।
सीसीएफयूजीपी	❖ सन्दर्भ ➤ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से स्नातक कोर्सेज के लिए एक नए फ्रेमवर्क की घोषणा की सम्भावना बन रही है। ❖ प्रमुख बिंदु



- इस नए फ्रेमवर्क को अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम (CCFUGP) के लिए पाठ्यचर्या और क्रेडिट फ्रेमवर्क कहा जाएगा।
- यह तीन साल की च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की जगह लेगा।
- यह फ्रेमवर्क संस्तुतात्मक है तथा गैर अनिवार्य प्रकृति का है। यह भारत, आधुनिक भारतीय भाषाओं और योग को समझने के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करेगा।
- यह छात्रों को कई प्रविष्टियां और निकास की अनुमति देगा -
 - प्रथम वर्ष पूरा करने पर छात्र को प्रमाणपत्र मिलेगा।
 - दो साल पूरा करने पर उन्हें डिप्लोमा मिलेगा।
 - तीन साल पूरे करने पर छात्रों को स्नातक की डिग्री मिलेगी।
 - चार साल पूरा करने पर 160 क्रेडिट पूरा करने के बाद "पास्ड विथ ऑनर्स" के साथ स्नातक की डिग्री मिलेगी।
- अगर छात्र कोर्स से बाहर निकलने का निर्णय करते हैं, तो उन्हें बाहर निकलने के तीन साल के अंदर कोर्स को पूरा करने के लिए पुनः सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी। छात्रों को अपने नामांकन के बाद से 7 वर्षों के भीतर अपनी डिग्री पूरी करनी होगी।
- छात्र जो पहले छह सेमेस्टर में 75% और उससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं और स्नातक स्तर पर शोध करना चाहते हैं, वे अपने चौथे वर्ष में ऐसा करने का विकल्प चुन सकते हैं।

अनुपूरक अनुदान की मांग (एसडीजी)



❖ प्रसंग

- सरकार ने हाल ही में संसद से 3.25 लाख करोड़ रुपये के पूरक व्यय के लिए संसद की स्वीकृति मांगी है। इस पूरक व्यय की आवश्यकता मुख्य रूप से खाद्य और ईंधन सब्सिडी के लिए उच्च भुगतान के कारण आई है।

❖ प्रमुख बिंदु :-

- अनुपूरक अनुदान, संसद के समक्ष रखी गई पूरक मांगों के विवरण को संदर्भित करता है, यह किसी वित्तीय वर्ष के लिए आवश्यक अतिरिक्त व्यय की अनुमानित राशि को दर्शाता है, जो उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में अधिकृत व्यय से अधिक है।
- पूरक की मांग सांकेतिक, तकनीकी या मूल/नकदी हो सकती है।
- इसे राष्ट्रपति की अनुशंसा प्राप्त करने के बाद संविधान के अनुच्छेद 115 के खंड (1) के उप-खंड (ए) के प्रावधान के अनुपालन में संसद के समक्ष रखा जाता है।
- सांकेतिक अनुदान का तात्पर्य किसी भी योजना के लिए आवंटित की जाने वाली सांकेतिक राशि (₹1 लाख या उससे अधिक) को संदर्भित करता है।
- तकनीकी का मतलब मंत्रालय/विभाग की बचत को एक अलग उद्देश्य के लिए या ऐसी योजना के लिए उपयोग किया जाता है जहां अधिक धन की आवश्यकता होती है।
- मूल/नकद का तात्पर्य बजट में प्रदान किए गए से अधिक नए आवंटन से है और इसे भारत की संचित निधि से नए आहरण के माध्यम से पूरा किया जाना है।

Face to Face Centres





वनीकरण (वणिकरण)



❖ सन्दर्भ

» केरल के वन विभाग, ने नूलपुझा ग्राम पंचायत, वायनाड जिले के सहयोग से वनीकरण (वणिकरण) नामक एक नई परियोजना शुरू की है।

❖ प्रमुख बिंदु

- इस परियोजना का उद्देश्य आक्रामक पौधों, विशेष रूप से सेन्ना स्पेक्टैबिलिस को पूर्ण रूप से समाप्त करना तथा प्राकृतिक वनों को बहाल करना है। इसके केंद्र में अन्य आक्रामक प्रजातियां यूपेटोरियम, मिकानिया माइक्रांथा और लैटाना कैमारा भी हैं।
- केरल वन अनुसंधान संस्थान (केएफआरआई) के अनुसार वायनाड वन्यजीव अभयारण्य में लगभग 22 आक्रामक प्रजातियां हैं।
- सेना एस. (Senna S.) प्रजाति बहुत कठोर है तथा चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में जीवित रहती है।
- उष्णकटिबंधीय अमेरिका की मूल प्रजाति भारत में एक सजावटी पौधे के रूप में लाई गई थी।
- यह 7 - 18 मीटर लंबा होता है तथा पीले फूल का उत्पादन करता है।
- वर्ष भर बारिश के कारण यह सदाबहार रहता है हालाँकि कुछ क्षेत्रों में पर्णपाती भी बन सकता है।

सलाम आरती



❖ प्रसंग

- कर्नाटक सरकार "सलाम आरती" अनुष्ठान का नाम बदलकर "आरती नमस्कार" करने के लिए एक परिपत्र जारी कर रही है।

❖ प्रमुख बिंदु

- ऐसा माना जाता है कि इस अनुष्ठान का नाम 18वीं शताब्दी के मैसूर के राजा टीपू सुल्तान ने अपनी मंदिरों की यात्रा के दौरान रखा था।
- स्थानीय आख्यान प्रायः इन्हें मंदिर की महानता के रूपकों के रूप में उपयोग करते हैं।

एनएसीआई



❖ प्रसंग

- भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने हाल ही में दो उप-समितियों का गठन किया है।

❖ प्रमुख बिंदु

सुगम्य चुनावों पर चुनाव आयोग की राष्ट्रीय सलाहकार समिति (NACAE) के तहत चुनाव अधिकारियों और विकलांगता अधिकार समूहों के प्रतिनिधियों वाली दो उप-समितियों का गठन किया गया था।

गठन का उद्देश्य

- अपनी वेबसाइटों, ऐप्स और अन्य संचारों की एक्सेसिबिलिटी सुविधाओं को बेहतर बनाने के तरीकों का अध्ययन करना।
- निर्वाचकों के रूप में विकलांग व्यक्तियों के पंजीकरण को आसान बनाना।
- ईसीआई के निर्देशों के अनुसरण में गठित राज्य, जिला और विधानसभा क्षेत्र स्तरीय समितियों के काम

Face to Face Centres



अमेरिशियम -241



की समीक्षा और मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एनएसीईई का गठन किया गया है।

- सभी विकलांग व्यक्तियों के लिए संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया को सुलभ और समावेशी बनाने के लिए समितियों का गठन किया गया है।
- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी क्रमशः राज्य, जिला और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर समिति के अध्यक्ष होंगे।

❖ सन्दर्भ

- यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) ने अमेरिशियम -241 युक्त बैटरी विकसित करने के लिए एक परियोजना का वित्तपोषित कर रही है।

❖ प्रमुख बिंदु

- यह एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है जो प्लूटोनियम क्षय का उप-उत्पाद है।
- इसे बिजली संयंत्रों के व्यय किये गए ईंधन से निकाला जाता है।
- बैटरियों का उपयोग अंतरिक्ष मिशनों को सौर मंडल के दूर तक बिजली पहुंचाने के लिए किया जा सकता है।

[MCQ](#), [Current Affairs](#), [Daily Pre Pare](#)

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | **LAXMI NAGAR** : 9205212500, 9205962002 | **RAJENDRA NAGAR**: 9205274743 | **UTTAR PRADESH** PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | **LUCKNOW** (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | **LUCKNOW** (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | **GREATER NOIDA**: 9205336037, 38 | **KANPUR**: 7887003962, 7897003962 | **GORAKHPUR** : 7080847474, 9161947474 | **ODISHA** BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029



dhyeyaias.com